

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद
(अरुण कुमार हसीजा, आई०ए०एस०, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपील संख्या: 13/2016

दायर दिनांक: 21.03.2016

निर्णय दिनांक 09.01.2026

—: अनवान :-

श्रीमती नर्बदा धर्मपत्नी श्री राजुलाल जी पिता श्री लीलाधर जी, जाति माली, उम्र 55 वर्ष, निवासी नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद

— अपीलान्त

बनाम

1. लीलाधर आत्मज श्री राधाकिशन जी, जाति माली, उम्र 85 वर्ष निवासी उबा गणेश जी के पास, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद मृतक की बजाय :-
 - 1/1. पुनम चन्द आत्मज स्व० श्री लीलाधर जी जाति माली उम्र करीब 50 वर्ष निवासी - भलावतों का खेड़ा नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा मृतक की बजाय :-
 - 1/1/1. श्रीमती गीता धर्मपत्नी स्व० पुनम चन्द जाति माली उम्र वयस्क, निवासी - भलावतों का खेड़ा, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा **पत्नी**
 - 1/1/2. श्री दिलीप पिता स्व० पुनम चन्द जाति माली उम्र वयस्क, निवासी - भलावतों का खेड़ा, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा **पुत्र**
 - 1/1/3. श्री दीपक पिता स्व. पुनम चन्द्र जाति माली उम्र वयस्क, निवासी - भलावतो का खेड़ा, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा **पुत्र**
 - 1/1/4. सुश्री किशना पिता स्व. पुनम चन्द्र जाति माली उम्र वयस्क निवासी - भलावतो का खेड़ा, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा **पुत्री**
 - 1/2 गणेशलाल आत्मज आत्मज स्व० श्री लीलाधर जी जाति माली उम्र करीब 45 वर्ष निवासी उबा गणेश जी नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा **पुत्र**
 - 1/3 श्रीमती शान्ती आत्मजा स्व० श्री लीलाधर जी पत्नी स्व० तुलसीराम जी जाति माली उम्र 55 वर्ष निवासी भण्डारी बावडी, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा **पुत्री**



Handwritten signature

1/4 राजु आत्मज स्व० श्री ओमप्रकाश जी जाति माली उम्र 23 वर्ष निवासी भलावतों का खेडा, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा **पौत्र**

1/5 खुशी आत्मजा स्व० श्री ओमप्रकाश जी जाति माली उम्र 21 वर्ष निवासी भलावतों का खेडा, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा **पौत्री**

1/6 श्रीमती लीला धर्मपत्नी स्व० श्री ओमप्रकाश जी जाति माली उम्र 38 वर्ष निवासी भलावतों का खेडा, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा **पुत्र वधु**

1/7 श्री गोपाल आत्मज स्व० श्री कैशु लाल जी जाति माली उम्र वयस्क निवासी – सिहाड हनुमान जी मंदीर के पास नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा **दोहित्र**

1/8 श्रीपति मनोहरी आत्मजा स्व० श्री कैशुलाल जी धर्मपत्नी श्री नन्दु जी जाति माली उम्र वयस्क निवासी श्रीनाथ कॉलोनी, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा **दोहित्र**

अपिलार्थीया नर्बदा स्वयं **पुत्री**

2. श्रीमती गीता देवी पत्नी पुनमचन्द्र उर्फ पुर्णाशंकर जी, जाति माली, आयु करीब 44 वर्ष, निवासी उबा गणेश जी के पास, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद।
3. श्रीमती लक्ष्मी देवी सैनी पत्नी श्री गणेशलाल जी माली आयु करीब 40 वर्ष निवासी उबा गणेश जी के पास, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद।
4. श्रीमती लीला देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश जी, जाति माली आयु करीब 36 वर्ष, निवासी भलावतों का खेडा, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद।
5. महेन्द्र कुमार पिता ओमप्रकाश जी, जाति माली, आयु करीब 16 वर्ष, निवासी भलावतों का खेडा, नाथद्वारा जरिये नैसर्गिक संरक्षक स्वयं की माता श्रीमती लीला देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश जी, जाति माली, आयु करीब 36 वर्ष निवासी भलावतों का खेडा, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब नाथद्वारा।

– रेस्पोंडेन्टगण

अपील विरुद्ध नामान्तरणकरण संख्या 492 दिनांक 28/07/2015 द्वारा तहसीलदार साहब नाथद्वारा जिला राजसमन्द



deh

उपस्थित :-

1. श्री ईश्वर सिंह सामोता, अधिवक्ता अपीलांत
2. श्री फतेहलाल बोहरा, अधिवक्ता, रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 (एकपक्षीय कार्यवाही)
3. श्री संपत लाल लढ्ढा, अधिवक्ता, रेस्पोंडेन्ट संख्या 2,4 व 5
4. श्री विश्वजीत सिंह कर्णावट, अधिवक्ता, रेस्पोंडेन्ट संख्या 1/2
5. श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोंडेन्ट संख्या 06
6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1/1/1, 1/1/2, 1/1/3, 1/1/4, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 (एकपक्षीय कार्यवाही)

--: निर्णय :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 492 दिनांक 28.07.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट के पिता लीलाधर जी द्वारा दिनांक 16.07.2015 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 133 में पृष्ठ संख्या 166, 167, 168 बुक संख्या कम संख्या 2015000865, 2015000866, 2015000867 पर एक पंजिकृत दान पत्र पंजिबद्ध किया गया जिसमें लीलाधर ने अपने पैतृक सम्पत्ति जो राजस्व गांव भलावतों का खेड़ा पटवार हल्का नाथद्वारा में स्थित खसरा संख्या 364 कुल किता 1 रकबा 00-08-19 एवं आराजी नम्बर 381, 382, 383, 387, 388 कुल किता 5 कुल रकबा 02-04 दो बीघा चार बिश्वा को दान की और उसके आधार पर उक्त नामान्तरकरण तहसीलदार साहब नाथद्वारा द्वारा स्वीकृत किया गया जिससे दुखी पीड़ीत एवं क्षुब्ध होकर यह अपील इन आधारों पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। लीलाधर द्वारा जो दान पत्र निष्पादित किया गया है वह दान पत्र पैतृक सम्पत्ति का होने के कारण ऐसा दान पत्र आरम्भसे ही शुन्य है और ऐसा दस्तावेज वोईड है और ऐसे दस्तावेज से रेस्पोंडेन्ट को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं हुये है। यह दान पत्र लिस पेन्डेन्सी से दुषित होने के कारण ऐसे दान पत्र से रेस्पोंडेन्ट को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। उक्त दान पत्र में अंकित आराजियात में अपीलाण्ट का जन्म से ही अधिकार नियत होने के कारण दान पत्र में अंकित आराजियात को रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लीलाधर को निष्पादित करने का कोई अधिकार नहीं है। इस कारण भी ऐसे दान पत्र से रेस्पोंडेन्ट को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर माननीय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार साहब नाथद्वारा द्वारा जो नामान्तरण संख्या 492 दिनांक 28.07.2015 निरस्त फरमाया जावें।



Handwritten signature

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई। रेस्पोंडेन्ट संख्या 2, 4 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री सम्पत लाल लढडा ने उपस्थिति दी तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1/2 की ओर से अधिवक्ता श्री विश्वजीत सिंह कर्णावट ने उपस्थिति दी एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 06 की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई। रेस्पोंडेन्ट संख्या 03 तथा 1/1/1, 1/1/2, 1/1/3, 1/1/4, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाही की गई।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट के द्वारा अपनी बहस में अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट के पिता लीलाधर जी द्वारा दिनांक 16.07.2015 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 133 में पृष्ठ संख्या 166, 167, 168 बुक संख्या कम संख्या 2015000865, 2015000866, 2015000867 पर एक पंजिकृत दान पत्र पंजिबद्ध किया गया जिसमें लीलाधर ने अपने पैतृक सम्पत्ति जो राजस्व गांव भलावतों का खेड़ा पटवार हल्का नाथद्वारा में स्थित खसरा संख्या 364 कुल किता 1 रकबा 00-08-19 एवं आराजी नम्बर 381, 382, 383, 387, 388 कुल किता 5 कुल रकबा 02-04 दो बीघा चार बिश्वा को दान की और उसके आधार पर उक्त नामान्तरकरण तहसीलदार साहब नाथद्वारा द्वारा स्वीकृत किया गया जिससे दुखी पीड़ीत एवं क्षुब्ध होकर यह अपील इन आधारों पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। लीलाधर द्वारा जो दान पत्र निष्पादित किया गया है वह दान पत्र पैतृक सम्पत्ति का होने के कारण ऐसा दान पत्र आरम्भसे ही शुन्य है और ऐसा दस्तावेज बोर्ड है और ऐसे दस्तावेज से रेस्पोंडेन्ट को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं हुये है। यह दान पत्र लिस पेन्डेन्सी से दुषित होने के कारण ऐसे दान पत्र से रेस्पोंडेन्ट को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। उक्त दान पत्र में अंकित आराजियात में अपीलाण्ट का जन्म से ही अधिकार नियत होने के कारण दान पत्र में अंकित आराजियात को रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लीलाधर को निष्पादित करने का कोई अधिकार नहीं है। इस कारण भी ऐसे दान पत्र से रेस्पोंडेन्ट को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर माननीय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार साहब नाथद्वारा द्वारा जो नामान्तरण संख्या 492 दिनांक 28.07.2015 निरस्त फरमाया जावें।



qsh

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 2, 4 व 5 ने अपनी बहस में मुख्यतः यह कथन किया कि नामान्तरकरण की प्रक्रिया एक संक्षिप्त प्रक्रिया होती है। किसी भी पंजीबद्ध विक्रय पत्र की वैधता का निस्तारण सिविल न्यायालय करेगा। तथा माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन केवल पार्टशन सुट डीड के क्रियान्विती पर था, प्रोपर्टी के अंतरण पर नहीं था। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 1/2 ने भी अपनी बहस में मुख्यतः यह कथन किया कि नामान्तरकरण की प्रक्रिया एक संक्षिप्त प्रक्रिया होती है। किसी भी पंजीबद्ध विक्रय पत्र की वैधता का निस्तारण सिविल न्यायालय करेगा। तथा माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन केवल पार्टशन सुट डीड के क्रियान्विती पर था, प्रोपर्टी के अंतरण पर नहीं था। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमायी जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचाराधीन प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिकृत दान पत्र के आधार पर खोले गये नामान्तरण संख्या 492 दिनांक 28.07.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया हैं। उक्त संबंध में विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी तथा उनके द्वारा प्रस्तुत नजीरो का भी अध्ययन किया गया। दान पत्र की विधिक वैधता के संबंध में भी अधिवक्तागण द्वारा बहस की गई। इस संबंध में कोई टिप्पणी किये बगैर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.01.2016 को विवादित सम्पत्ति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 14.11.2006 को एक स्थगन आदेश पारित किया गया था। जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि *Meanwhile, the final decree shall not be prepared and the status-quo as it exists today regarding revenue entries in respect of property in question shall be maintained.* तथा इसी स्थगन आदेश को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 03.11.2008 को *Interim order dated 14-11-2006 is confirmed to last till Decision of this Appeal.* और इस रीट याचिका में तहसीलदार स्वयं एक पक्षकार था और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरण, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के स्थगन आदेश से पूर्ण रूप से प्रभावित होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा उक्त नामान्तरण खोला गया, जो नहीं खोला जाना चाहिए था। अतः उक्त नामान्तरण को अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।



deh

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाता है तथा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 492 दिनांक 28.07.2015 को अपास्त किया जाता है।

(अरुण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांक: 09.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरुण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

